न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज जिला बलरामपुर –रामानुजगंज (छ.ग.) **(पीठासीन न्यायाधीश–श्रीकान्त श्रीवास)**		
(निर्णय दिनांक 10/12/2024) सत्र प्रकरण क्रमांक 152/2022 संस्थित दिनांक 28.10.2022 आरक्षी केन्द्र शंकरगढ़ का अपराध क्रमांक 116/2022		
अभियोजन	–	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र शंकरगढ़ जिला बलरामपुर –रामानुजगंज छ.ग.
अभियोजन की ओर से	–	श्री अमरनाथ केसरी अतिरिक्त लोक अभियोजक ।
– विरूद्ध –		
अभियुक्त	–	सुखना पहाडी कोरवा आत्मज धनू पहाडी कोरवा उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम धारानगर, महुआ कठरापारा, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से	–	श्री यू.एस. गुप्ता अधिवक्ता

घटना दिनांक	08.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	10.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	27.09.2022
आरोप विरचित दिनांक	18.11.2022
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	07.01.2022
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	09.12.2024
निर्णय दिनांक	10.12.2024
दंडित करने की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति/ दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत अवधि धारा 428 द.प्र.सं. हेतु
सुखना पहाडी कोरवा	10.8.2022	–	306 भा.द.सं.	दोषमुक्ति	–	दिनांक 11.08.2022 से 10.12.2024 तक

– अनुक्रमणिका –

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	3
5	अभियोजन का प्रकरण	3 से 5
6	विरचित आरोप को सुनाया जाना एवं अभियुक्त कथन की प्रतिरक्षा	5 से 6
7	अभियोजन साक्षियों का विवरण	6
8	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	7 से 20
9	दण्डादेश	–
10	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा	20
11	संपत्ति का निराकरण	20
12	प्रतिकर आदेश	21
13	निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता	22
14	सजा वारंट (दंड एवं जुर्माना)	–
15	निर्णय की प्रति	21

न्यायालयः– सुश्री आकांक्षा बेक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग. द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 426/2022 छ.ग. राज्य विरूद्ध सुखना पहाड़ी कोरवा में पारित उपार्पण आदेश दिनांक– 14.10.2022 से उद्भुत यह सत्र प्रकरण।

निर्णय
(आज दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को घोषित)

1– अभियुक्त सुखना पहाडी कोरवा पर धारा 306 भारतीय दंड संहिता 1860 का यह आरोप है कि उसने दिनांक 08.08.2022 के दोपहर 3.00 बजे से शाम 7.00 बजे के मध्य ग्राम–धारानगर महुआ कठरापारा, अंतर्गत थाना शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग. में अपनी पत्नी श्रीमती नेवारी को डंडा से मारपीट कर, प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप नेवारी द्वारा घर के अंदर साडी से फांसी लगाकर आत्महत्या की गई।

2– प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि मृतका नेवारी अभियुक्त सुखना पहाडी कोरवा की पत्नी थी।

3– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना शंकरगढ़ में **मगधा पहाडी कोरवा (अ.सा.–1)** ने **मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–1** दर्ज कराया था कि दिनांक 08.08.2022 के दोपहर करीब 3.00 बजे वह घर से गांव के शैलेन्द्र पैकरा के साथ शंकरगढ़ में साप्ताहिक बाजार करने गया था। उस समय उसके माता–पिता घर में थे, बच्चे स्कूल गए थे तथा उसकी पत्नी बैल चराने गई थी। शाम करीब 6.00 बजे गांव का अनिल खैरवार उसे फोन कर सूचना दिया कि उसकी मां घर में फांसी लगाकर मर गई है। सूचना पाकर वह घर जाकर देखा कि

उसकी मां नेवारी घर के अन्दर कमरा में चित्त हालत में पडी थी, गला में फांसी का साडी बंधा हुआ था तथा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब इसने अपने पिता से घटना के बारे में पूछा तब पता चला कि आरोपी और मृतका शराब पीए हुये थे, आरोपी के द्वारा मृतका को ससुराल चलते हैं कहने पर मृतका ने जाने से मना किया, जिससे आरोपी के द्वारा गुस्से में आकर डंडे से मारपीट करना बताया गया। आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि वह बाहर बैठा था और मृतका घर के अन्दर घुसकर दरवाजा बंद कर कमरे में पाटन में लगे लकड़ी में फांसी लगा लिया।

4– **महिला प्रधान आरक्षक उर्मिला लहरे (अ.सा–10)** द्वारा मर्ग जांच होने पर **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–12** दर्ज किया गया जिसके पश्चात **उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का (अ.सा.–11)** द्वारा घटना स्थल का **नक्शा प्रदर्श पी–2** तैयार किया गया था। घटना स्थल का पटवारी नजरी नक्शा प्रदाय करने बाबत तहसीलदार शंकरगढ़ को तहरीर प्रदर्श पी–17 जारी किया गया था। **पटवारी सुमित कुमार तिवारी (अ.सा–5)** द्वारा **नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5** तैयार किया गया था। **डॉ. अनिल सिंह (अ.सा.–12)** द्वारा शव का परीक्षण कर शव परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी–18** दिया गया । विवेचना के अनुक्रम में गवाहों को आरोपी का मेमोरेण्डम कथन लेने हेतु **नोटिस प्रदर्श पी–12** जारी कर

उनके समक्ष आरोपी से पूछताछ कर **मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–13** दर्ज किया गया एवं आरोपी के घर से बांस के डंडे की जप्ती कर **जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–14** तैयार किया गया।

5– आरोपी के विरूद्ध अपराध का वजह सबूत पाये जाने पर उसे गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी–15** के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफतारी की सूचना **प्रदर्श पी–16** उसके परिजन को अनुसार दिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त सुखना पहाडी कोरवा के विरूद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता का अभियोग पत्र सुश्री अकांक्षा बेक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज छ.ग. के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां दांडिक प्रकरण क्रमांक 426/2022, (शासन विरूद्ध सुखना) पंजीबद्व कर उपार्पण आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा उपार्पण किया गया। माननीय सत्र न्यायालय, रामानुजगंज को उपार्पित किये जाने के पश्चात प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

6– अभियुक्त सुखना पहाडी कोरवा के विरूद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता 1860 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार किया और विचारण चाहा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अपने परीक्षण में

अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया है।

7– अभियोजन द्वारा साक्षी मगधा (अ.सा.–1), श्री भुटकुल (अ.सा.–2), श्रीमती नानही (अ.सा.–3), श्री जयराम (अ.सा.–4), पटवारी सुमित कुमार तिवारी (अ.सा.–5), अनिल कुमार (अ.सा.–6), अब्दुल राम (अ.सा.–7), बिफना (अ.सा.–8), शैलेन्द्र कुमार (अ.सा.–9) प्रधान आरक्षक उर्मिला लहरे (अ.सा.–10), उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का (अ.सा.–11), डॉ. अनिल सिंह (अ.सा.–12), गुड्डू राम (अ.सा.–13) एवं नानसाय (अ.सा.–14) का परीक्षण कराया गया है ।

8– इस न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न निम्नलिखित है –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2022 के दोपहर 03.00 बजे से शाम 07.00 बजे के मध्य अपनी पत्नी श्रीमती नेवारी को शराब पीकर हमेशा मारपीट किया तथा आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाता था, इस प्रकार आरोपी ने प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप नेवारी द्वारा घर के अंदर साडी से फांसी लगाकर आत्महत्या की गई?

निष्कर्ष एवं उसके आधार
अवधारणीय प्रश्न का निराकरण –

9– इस अवधारणीय प्रश्न के संबंध में निम्नांकित संघटक को प्रमाणित किया जाना है–

प्रथम – क्या मृतका ने आत्महत्या किया है ?

द्वितीय– क्या अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किया?

10– उपरोक्तानुसार सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या मृतका द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस बिंदु पर विचार करने के लिये यह विचारणीय है कि क्या मृतका निवारी की मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी ? इस सबंध में मृतका तथा आरोपी के पुत्र **मगधा (अ.सा–1)** ने कथन किया है कि उसे गांव के अनिल खैरवार के द्वारा फोन बर बताया गया कि उसकी मां फांसी लगाकर मर गई है। खबर सुनकर वह अपने घर जाकर देखा तो उसकी मां को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिए थे। उसके द्वारा घटना के बारे में अपने पिता से पूछने पर उसके पिता द्वारा बताया गया कि उसकी मां कमरे में घुसकर फांसी लगा ली, फांसी लगाने का कारण उसे नहीं बताया गया था। उसके द्वारा घटना की सूचना पुलिस थाना शंकरगढ़ में देकर मर्ग इंटीमेशन **प्रदर्श पी–1** दर्ज कराया गया था। जिसकी पुष्टि करते हुये प्रधान आरक्षक **उर्मिला लहरे (अ.सा–10)** ने

कथन किया है कि उसके द्वारा मर्ग जांच के दौरान प्रथम सूचना पत्र **प्रदर्श पी–12** दर्ज किया था।

11– **उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का (अ.सा–11)** के अभिसाक्ष्य अनुसार उन्होंने घटना स्थल जाकर प्रार्थी के बताए अनुसार घटना स्थल का **नक्शा प्रदर्श पी–11** तैयार किया था, इसके संबंध में **मगधा (अ.सा–1)** ने कथन किया है कि, पुलिस वाले उसके घर पर आए थे और उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। **उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का (अ.सा.–11)** के द्वारा पटवारी नक्शा तैयार करने हेतु **तहरीर प्रदर्श पी–17** दिए जाने पर पटवारी **सुमित कुमार तिवारी (अ.सा.–5)** द्वारा भी घटना स्थल का **नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5** तैयार किया गया था।

12– **डॉ. अनिल सिंह (अ.सा.–12)** द्वारा मृतका का शव परीक्षण किया गया था, उन्होने कथन किया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.08.2024 को पुलिस थाना शंकरगढ़ के आरक्षक के द्वारा मृतका नेवारी का शव परीक्षण हेतु उनके समक्ष लाया गया था, जिसकी पहचान उसके परिजन मगधा, अब्दुल और बिफना राम के द्वारा किया गया था। शव के परीक्षण में पाया गया था कि शव सामान्य कद काठी की महिला का था जिसे पीठ के बल लिटाया गया था। शव की

दोनो आंखे बंद थी, मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकला हुआ था, नाखून और होंठ नीला पडा हुआ था, गले में अकडन मौजूद थी, मुंह सुखा हुआ तथा लार गिरा हुआ था, गर्दन में 28x2 सेमी का लाईगेचर मार्क था। साड़ी लाल पीले और सफेद रंग का 4 मीटर लंबा था, जिससे फांसी लगाया गया था एवं बाएं कान के पीछे एब्रेजन मौजूद था।

13— **डॉ. अनिल सिंह (अ.सा.—12)** ने शव परीक्षण रिपोर्ट **प्रदर्श पी—18** को प्रमाणित करते हुये अभिसाक्ष्य दिया है कि मृत्यु का कारण फांसी लगाने के कारण दम घुटना था। मृत्यु की अवधि शव परीक्षण करने के 24 घंटे के भीतर की थी तथा मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक थी। इस प्रकार चिकित्सक एवं साक्षियों के कथन से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुयी थी तथा मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक थी।

14— अब यह देखा जाना है कि क्या, आरोपी ने मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया था। इसे साबित करने का भार अभियोजन का है। अभियोजन का तर्क है कि अभिलेख में आये साक्ष्य से आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है, अतः आरोपी को दोषसिद्ध किया जाये। जबकि बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि आरोपी की प्रताड़ना से तंग होकर

ही मृतका ने आत्महत्या किया था। आरोपी को प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है, अभिलेख में आरोपी के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है, जिससे उसे दोषसिद्ध किया जा सके।

15– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 के क्षेत्र को उचित रूप से समझने के लिये उक्त धारा के आधारभूत तत्वों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करना महत्वपूर्ण है–

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306: आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण के लिये दण्ड को विहित करती है एवं धारा–107 भा.दं.संहिता दुष्प्रेरण के अपराध के सम्बंध में निम्नानुसार उपबंध करती है:–

16– भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार किसी बात का दुष्प्रेरण– वह व्यक्ति किसी बात के लिये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो पहला– उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा दूसरा– उस बात को करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है,

यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा तीसरा– उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

17– धारा–113 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान के तहत् आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में उपधारणा, उस प्रकार से आज्ञापक नहीं है, जिस प्रकार से धारा–113 ख के प्रावधान उपधारणा करने हेतु आज्ञापक रूप से निर्देशित करती है। धारा–306 भा.दं.संहिता के अधीन अपराध गठित करने के लिये अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कारित किया और आत्महत्या कारित करना, अभियुक्त के द्वारा दुष्प्रेरित था, अथवा अभियुक्त का आचरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार का रहा है, जो मृतका को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की, या जीवन, अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की प्रकृति का हो तथा अभियुक्त का आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने का स्पष्ट दुराशय होना चाहिये तथा सक्रिय एवं प्रत्यक्षकारी होना चाहिये, जिसके कारण मृतका के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न हो ।

18– इस संबंध में न्यायदृष्टांत <u>Gurcharan Singh Vs. State</u>

<u>**of Punjab, (2020) 10 SCC 200**</u> का पैरा **15** अवलोकनीय है जो निम्नानुसार है –

15. As in all crimes, mens rea has to be established. To prove the offence of abetment, as specified under Section 107 IPC, the state of mind to commit a particular crime must vevisible, to determine the culpability. In order to prove mens rea, there has to be something on record to establish or show that the appellant herein had a guilty mind and in furtherance of that state of mind, abetted the suicide of the deceased. The ingredient of mens rea cannot be assumed to be ostensibly present but has to be visible and conspicuous.

19– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Mariano Anto Bruno and Another v Inspector of Police 2022 SCC OnLine SC 1387** में यह अवधारित किया गया है कि –

42. To convict a person under Section 306 IPC, there has to be clear mens rea to commit offence. It also requires an active act or direct act which leads deceased to

commit suicide finding no other option and the act must be such reflecting intention of the accused to push deceased into such a position that he commits suicide. The prosecution has to establish beyond reasonable doubt that the deceased committed suicide and Appellant No. 1 abetted the commission of suicide of the deceased. In the present case, both the elements are absent.

20– इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **NARESH KUMAR VERSUS STATE OF HARYANA 2024 SCC OnLine SC 202** का सुसंगत पैरा 25 भी अवलोकनीय है जो इस प्रकार है–

25. It is now well settled that in order to convict a person under Section 306 of the IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. Mere harassment is not sufficient to hold an accused guilty of abetting the commission of suicide. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide. The ingredient of mens rea cannot be assumed to be ostensibly

present but has to be visible and conspicuous.

21– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के अवश्यक संघटकों के प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Gangula Mohan Reddy v. State of A.P.,(2010) 1 SCC 750** में विचार किया गया है जिसका सुसंगत पैरा–17 निम्नांकित है–

17. Abetment involves a mental process of instigating a person intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by this Court is clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide.

22– आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में मृतका के

पुत्र **मगधा (अ.सा–1)** के कथनानुसार उसे गांव के अनिल खैरवार के द्वारा फोन कर बताया गया था कि उसकी मां फांसी लगाकर मर गई है। उक्त सूचना पश्चात वह घर जाकर देखा तो उसकी मां को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया गया था तथा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतका की बहू **श्रीमती नान्ही (अ.सा–3)** के कथनानुसार वह गाय चराने जंगल गई थी, शाम लगभग पांच बजे वापस आई तो देखी की उसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी। जबकि **शैलेन्द्र कुमार (अ.सा–9)** ने कथन किया है कि अनिल खैरवार उसे फोन कर मगधा की मां की मृत्यु के बारे में सूचना दिया था।

23– **गुड्डू राम (अ.सा–13)** के अभिसाक्ष्य अनुसार मृतका के लडके मगधा के द्वारा फोन कर बताया गया कि उसकी मां फांसी लगाकर मर गई है। सूचना मिलने पर वह दूसरे दिन सुबह जाकर देखा तो मृतिका नेवारी को नीचे उतारकर रखे थे। जिसके पश्चात वह और मगधा थाना शंकरगढ जाकर घटना की सूचना दिए थे। **नानसाय (अ.सा–14)** ने कथन किया है कि उसे मृतका के लडके द्वारा फोन कर सूचना देने पर वह ग्राम धारानगर गया तो देखा कि मृतका नेवारी को नीचे उतारकर रखा गया था और उसके गले में कपडा बंधा हुआ था।

24– विवेचना के अनुक्रम में **उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का**

(अ.सा–11) आरोपी के मेमोरेण्डम कथन लिए जाते समय उपस्थिति के संबंध में **नोटिस प्रदर्श पी–12** दिया जाकर आरोपी का **मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–13** दर्ज किया गया था। इस संबंध में **गुड्डू राम (अ.सा.–13)** एवं **नानसाय (अ.सा.–14)** ने कथन किया है कि आरोपी का मेमोरेण्डम कथन उनके समक्ष दर्ज किया गया था। **उपनिरीक्षक रमेश कुमार एक्का** (अ.सा–11) ने कथन किया है कि आरोपी सुखना के घर से एक बांस का डंडा को **प्रदर्श पी–14** अनुसार जप्त किया गया था। इस संबंध में गुड्डू राम **(अ.सा–13)** ने भी कथन किया है कि उसके समक्ष पुलिस द्वारा बांस के डंडे की जप्ती किया गया था। किन्तु प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मेमोरेण्डम की कार्यवाही में पुलिस वाले सिर्फ उसका हस्ताक्षर लिये थे, उसमें क्या लिखा था ये पढ़ कर नहीं सुनाये थे। इसी प्रकार साक्षी **नानसाय (अ.सा.–14)** ने उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही करने से इंकार किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं किया था न ही उसे जप्ती के कार्यवाही की कोई जानकारी है।

25– हस्तगत प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या आरोपी ने ऐसी परिस्थिति निर्मित की जिसके कारण मृतका ने फांसी लगाकर

आत्महत्या किया। दुष्प्रेरण के अपराध के सन्दर्भ में उपरोक्त विधिक पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर विचार किया जाये, तो आरोपी द्वारा मृतका को शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना के सम्बंध में ठोस विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, बल्कि सामान्य अभिकथन है, जिनकी पुष्टि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से नहीं होती है । घटना के पहले भी किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना का कोई साक्ष्य नहीं है, मृतका के द्वारा घटना से पहले आरोपी द्वारा मृतका के साथ की गयी प्रताड़ना के सम्बंध में कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गई है। अतः मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में आरोपी द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आशय से किसी भी प्रकार से मौखिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना के सम्बंध में ठोस साक्ष्य का अभाव है।

26– साक्षीगण द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों के मुख्य परीक्षण में मृतका द्वारा किस प्रकार से आरोपी के प्रताड़ना से तंग होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की गयी और किस प्रकार से आरोपी द्वारा मृतका को दुष्प्रेरित किया गया। जिससे वह आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित हुई, इस बाबत् कोई भी कथन उनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः आरोपी के विरुद्ध धारा–113 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत्

उपधारणा ग्रहण किये जाने के लिये भी विधिक आधार उपलब्ध नहीं है ।

27– मृतका के पुत्र **मगधा (अ.सा–1)** ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह बाजार गया था वापस आने पर उसे पता चला कि उसकी मां नशे में धुत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब उसने आस पास पता किया तो पता चला कि उसके पिता भी घर पर नहीं थे। **श्रीमती नानही (अ.सा–3)** के कथनानुसार उसकी सास शराब पीकर फांसी लगा ली थी। **गुड्डू राम (अ.सा–13)** ने कथन किया है कि उसकी बुआ मृतका नेवारी तथा उसके फूफा आरोपी सुखना प्रेम से रहते थे और खेती बाडी कर अपना जीवन यापन करते थे, इसने यह भी बताया है कि वह कभी भी उनके बीच लडाई झगडा के बारे मे नहीं सुना है।

28– साक्ष्य में यह नहीं आया है कि मृतका के फांसी लगाने के ठीक पूर्व आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी। साक्ष्य से ऐसा भी प्रकट नहीं हुआ है कि आरोपी अपनी पत्नी को शारिरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता था। साक्षियों ने यह जरूर कहा है कि मृतका फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, किन्तु किसी भी साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने उसे आत्महत्या के लिये उसे उकसाया हो।

29– अभियुक्त की ओर से उकसाने का कोई सक्रिय कृत्य या आत्महत्या करने में सहायता के लिए आशयपूर्ण कोई कृत्य करने में जानबूझकर सहायता करना होना चाहिए। नेवारी के मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक प्रमाणित हुआ है तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हुआ है कि घटना के पूर्व आरोपी द्वारा प्रताड़ित करने के कारण मृतका को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किया गया था अथवा कार्य, कार्य के लोप या आचरण से ऐसी परिस्थितियां निर्मित किया जिसके कारण मृतका के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रकरण में किसी प्रकार का सुसाईड नोट नहीं है। साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी तथा अस्थिर प्रकृति के हैं। इस बात का साक्ष्य नहीं आया है कि आरोपी ने घटना के पूर्व मृतका को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़िता किया, जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली।

30– आपराधिक विचारण में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के प्रत्येक अवयव को सारवान साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को सारवान साक्ष्य द्वारा संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

31– अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं कर पाया कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी नेवारी को शराब पीकर हमेशा मारपीट किया तथा घटना दिनांक को डंडा से मारपीट कर , प्रताडित कर, उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप नेवारी द्वारा दिनांक 08.08.2022 को घर के अंदर साडी से फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। फलस्वरूप अभियुक्त सुखना पहाड़ी कोरवा को संदेह का लाभ देते हुये **धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है, अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही होने पर उसे स्वतंत्र छोड़ा जाये।

32– अभियुक्त सुखना पहाड़ी कोरवा दिनांक 10.08.2022 से दिनांक 10.12.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के तहत आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के सबंध में निरोध अवधि तालिका तैयार किया जाये।

33– प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस का डंडा मूल्यहीन संपत्ति होने के कारण अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा में नष्ट किया जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का व्ययन किया जावे।

34– प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।

35– अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र धारा 437–क दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के उपबंधों के तहत आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

36– निर्णय की प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर को लोक अभियोजक के माध्यम से प्रदान की जावे। निर्णय की निःशुल्क सत्य–प्रतिलिपि मगधा पिता– सुखना पहाड़ी को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।	मेरे निर्देश पर टंकित ।
SHRIKANT SHRIVAS Digitally signed by SHRIKANT SHRIVAS Date: 2024.12.10 17:41:24 +0530	SHRIKANT SHRIVAS Digitally signed by SHRIKANT SHRIVAS Date: 2024.12.10 17:41:36 +0530
(श्रीकान्त श्रावास)	(श्रीकान्त श्रावास)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज जिला बलरामपुर -रामानुजगंज (छ.ग.)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज जिला बलरामपुर -रामानुजगंज (छ.ग.)

न्यायालयः–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीश–श्रीकान्त श्रीवास)

सत्र प्रकरण क्रमांक 152/2022

आरक्षी केन्द्र शंकरगढ़ का अपराध क्रमांक 116/2022

धारा 306 भारतीय दंड संहिता

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रमाण पत्र

1– अभियुक्त का नाम – सुखना पहाडी कोरवा

2– पिता का नाम – धनू पहाडी कोरवा

3– उम्र – 58 वर्ष

4– निवासी – ग्राम धारानगर, महुआ कठरापारा थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

5– गिरफ्तारी दिनांक – 10.08.2022

6– पुलिस अभिरक्षा की अवधि – निरंक

7– न्यायिक अभिरक्षा की अवधि– दिनांक 10.08.2022 से 10.12.2024 तक

SHRIKANT SHRIVAS
Digitally signed by SHRIKANT SHRIVAS
Date: 2024.12.10 17:41:49 +0530

(श्रीकान्त श्रीवास)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामानुजगंज

जिला–बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)